

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक: 828 / 34व्यक-स्थानान्तरण-सा0 / 18

दिनांक 19 / 04 / 2018

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
पौड़ी / अल्मोड़ा / टिहरी / पिथौरागढ़
/ हल्द्वानी / देहरादून,
उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता,
रा0मा0 / ए0डी0बी0 / विश्व बैंक /
पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0,
देहरादून / हल्द्वानी / अल्मोड़ा।

विषय:- अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु विकल्प उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इसे कार्यालय के ज्ञाप सं0-805 / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 18 दिनांक 16.04.2018 का अवलोकन करे, जिसके द्वारा आपको स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार पात्र कर्मिकों के अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के विकल्प दिनांक 20.04.2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 30.04.2018 तक ई-मेल एवं विशेष वाहक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। उक्त निर्धारित तिथि के बाद किसी भी अधिकारियों / कर्मचारियों के आवेदन / अनुरोध पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रकरण स्थानान्तरण अधिनियम की समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए आपका उत्तरदायित्व निर्धारित कर तदनुसार शासन को सूचित कर दिया जायेगा।
संलग्न-प्रारूप

(अर0सी0 पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न प्रारूप में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I / II, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
7. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। संलग्न-प्रारूप
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- I, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
9. वरिष्ठ / प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन - क, ख, ग, घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम/दुर्गम से सुगम एवं अनुरोध के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिकों का विवरण तथा एक्ट के अन्तर्गत छूट हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सूचना प्रेषण करने का प्रारूप

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	तहसील का नाम, जिसमें वर्तमान कार्यालय स्थित है।	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण में एक्ट की धारा 7 (घ) के अधीन अनुमन्य छूट प्राप्त करने है।	एक्ट की धारा 17 ख के अनुसार अनुरोध का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- कॉलम सं०-07 व 08 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

(आर०सी० पुरोहित)
 मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
 19/04/18